राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांक प.20(2)गृह-9 / 12 पार्ट

जयपुर, दिनांक 7 MAR 2019

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार की यह राय है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का राजस्थान अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर व उसके समस्त कार्यालय एवं उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओं को एतद्द्वारा दिनांक 31.07.2019 तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पी.सी. बेरवाल)
विशिष्ठ शासन सचिव,
गृह विभाग

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा / माध्य / मोनिटरिंग / बोर्ड परीक्षा / 2019 /

दिनांक : 7.3.2019

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वय, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)-माध्यमिक / प्रारम्भिक।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
5. समस्त संस्था प्रधान (शाला दर्पण अनुभाग) कार्यालय हाजा को संस्था प्रधान हेतु वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

secondarydd2@gmail.com